अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ,मुकाम. ब्यावर

श्री शोनाथ व अन्य बनाम श्री महेश व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी जो राजस्व वाद संख्या 46/2014 तथा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 41/2014 पर प्रस्तुत हुआ है।

किस्म मुकदमा आर0टी0ए0 नं. 04 सन्..2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.2019	प्रार्थी श्री मोहनसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री शफी मौहम्मद ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी मय वकालतनामा के प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर वकील प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किए कि वादीगण अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं एवं वादीगण के पूर्व अधिवक्ता द्वारा भी हर तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने की हिदायत के कारण सद्विश्वास में काफी समय तक अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके और ना ही उनके पूर्व अधिवक्ता ने कभी वादीगण को उपस्थित होने हेतु सूचित किया। इस कारण वादीगण इस न्यायालय में उपस्थित होने में कासिर रहे। वादीगण ने दिनांक 16.01.2019 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उन्होंने कहा कि 1–2 दिन में उक्त प्रकरण की जानकारी करके आपको सूचित कर दूंगा तत्पश्चात वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.01.2019 को वादीगण को सूचित किया कि उनका दावा दिनांक 09.01.2019 को खारिज हो चुका है। उक्त प्रकरण की जानकारी प्रार्थी को नहीं रही। अतः यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः उसी नम्बर पर रेस्टोर किया जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही किये जाने के कथन किये। बहस के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत 2016(3) सीजे(सिविल)(राज.) पेज 1761 प्रस्तुत किये। बहस के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पाया कि मूल प्रकरण काफी समय से वादी की साक्ष्य में लम्बित चला आ रहा है तथा स्वयं वादी ने ही अधिवक्ता बदलने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। जब स्वयं वादी/प्रार्थी ने ही अधिवक्ता बदलने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है तो पूर्व अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को सूचित किये जाने के कथन प्रारंभ से ही मिथ्या है। उक्त अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के प्रार्थना पत्र के बाद भी लगातार दो तारीख पेशियों पर प्रार्थी अनुपस्थित रहा है एवं ना ही प्रार्थी की ओर से प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं एवं उक्त मूल वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 17 नियम 3(2) जाब्ता दीवानी तथा आदेश 9 नियम 8 जाब्ता दीवानी के तहत प्रकरण खारिज़ किया गया है जो विधिक प्रावधानों के तहत ही किया गया है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की मौजूदा स्थिति का समर्थन नहीं करते हैं। उक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज़ किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेश चौधरी) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official